प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 09.06.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 09.06.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः- 09.06.2025 को बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी नगर, श्री दीपक दुबे के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

थाना कबरई की संयुक्त पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांकः- 08.06.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कबरई श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस टीम गठित की गई।

उ0नि0 अभिनव सिंह के नेतृत्व में प्रथम पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त नरेन्द्र पुत्र खूबा उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम सिचौरा थाना कबरई जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद सफेद रंग की बोरी में 15 अदद क्वार्टर देशी शराब झूम ब्राण्ड नाजायज बरामद करते हुए ग्राम महेवा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 165/25 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

इसी क्रम में उ0नि0 अंकित कुमार यादव के नेतृत्व में गठित द्वितीय पुलिस टीम ने 01 नफर अभियुक्त राज पुत्र स्व0 बाबूलाल उम्र करीब 33 वर्ष निवासी बघवा कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद सफेद रंग की बोरी में 19 अदद क्वार्टर देशी शराब झूम ब्राण्ड नाजायज बरामद करते हुए कस्बा व थाना कबरई के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 166/25 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नरेन्द्र पुत्र खूबा उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम सिचौरा थाना कबरई जनपद महोबा
2. राज पुत्र स्व0 बाबूलाल उम्र करीब 33 वर्ष निवासी बघवा कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

प्रथम टीम-

1. उ0नि0 अभिनव सिंह
2. कां0 धर्मेन्द्र कुमार

द्वितीय टीम-

1. उ0नि0 अंकित कुमार यादव
2. कां0 कुंवार पाल

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 09.06.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में आज दिनांक- 09.06.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित उ0नि0 फूलचन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त करन पुत्र बालेन्द्र राजपूत उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम कुनाटा थाना महोबकंठ जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए ग्राम रिवई के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 94/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 फूलचन्द्र सिंह
2. उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा
3. कां0 नितिन कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त-

करन पुत्र बालेन्द्र राजपूत उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम कुनाटा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 09.06.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांकः- 08.06.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थाना महोबकंठ प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार द्वारा गठित की गयी पुलिस टीम उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए थानाक्षेत्र अन्तर्गत नहर पुलिया वहद ग्राम कनकुआं से अवैध शराब लिये 01 नफर अभियुक्त हिन्दूपत पुत्र बक्शा उम्र करीब 60 वर्ष निवासी ग्राम रजौनी थाना महोबकंठ जिला महोबा को पुलिस हिरासत में लिया गया जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की बोरी में 22 अदद क्वार्टर देशी शराब झूम ब्रांण्ड नाजायज बरामद गी गयी। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना महोबकंठ में मु0अ0सं0 - 91/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

हिन्दूपत पुत्र बक्शा उम्र करीब 60 वर्ष निवासी ग्राम रजौनी थाना महोबकंठ जनपद महोबा

बरामदगी का विवरण-

एक प्लास्टिक की बोरी में 22 अदद क्वार्टर देशी शराब झूम ब्रांण्ड नाजायज बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा
2. का0 धर्वेन्द्र कुमार 3. का0 मनोज कुमार

थाना महोबकंठ की संयुक्त पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 07 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु जनपद में संचालित अवैध जुआ/सट्टा पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक- 08.06.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया।

उ0नि0 अजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने टूडर ग्राम से पहले स्थित पहाडी बहद ग्राम टूडर से हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 03 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.कपिल राजपूत पुत्र पर्वत सिंह राजपूत उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम गुढ़ा थाना अजनर 2. नीरज अरजरिया पुत्र सुरेश चन्द्र अरजरिया उम्र करीब 32 वर्ष निवासीग्राम हसला थाना अजनर 3. देवेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र बालादीन राजपूत उम्र करीब 33 वर्ष निवासी ग्राम बुडौरा थाना पनवाड़ी को पुलिस हिरासत में लिया गया जिनके कब्जे से मालफड़ 2600 रुपये व जामातलाशी 520 रूपये कुल 3120 रूपये व 52 अदद ताशपत्ता बरामद हुए।

इसी क्रम में उ0नि0 फूलचन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बम्हौरी कुर्मिन व थलौरा जाने वाली सड़क तिराहे के पास कुंआ व बोर के पास बहद ग्राम बम्हौरी कुर्मिन से हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 04 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.विसन्द राजपूत पुत्र मईयादीन उम्र करीब 35 वर्ष 2. ग्यासी राजपूत पुत्र भागीरथ उम्र करीब 40 वर्ष 3.कमलापति राजपूत पुत्र पारीक्षत उम्र करीब 45 वर्ष निवासीगण ग्राम दादरी थाना महोबकंठ 4.जगदीश कुशवाहा पुत्र हरदास उम्र करीब 37 वर्ष निवासी घटेरा थाना महोबाकंठ को पुलिस हिरासत में लिया गया जिनके कब्जे से मालफड़ 2500 रुपये व जामातलाशी 500 रूपये कुल 3000 रूपये व 52 अदद ताशपत्ता बरामद हुए।

बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना महोबकंठ में क्रमशः मु0अ0सं0- 92/2025 व मु0अ0सं0- 93/2025 धारा- 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम -

(प्रथम टीम) 1.उ0नि0 अजय प्रताप सिंह
2 .कां0 नितिन कुमार 3.कां0 मनोज कुमार, 4. कां0 धर्वेन्द्र कुमार

(द्वितीय टीम) 1. उ0नि0 फूलचन्द्र सिंह थाना महोबकंठ जिला महोबा
2. म0उ0नि0 दीक्षा
3. कां0 करमवीर सिंह 4. कां0 तेज सिंह 5. उमाशंकर यादव